न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	7/2021
सरकार	बनाम	चुन्नीलाल पुत्र भोलूराम, जाति–मेघवाल, निवासी– पारसनगर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 12.04.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल चुन्नीलाल पुत्र भोलूराम, जाति–मेघवाल, निवासी– पारसनगर द्वारा रोही मौजा पारसनगर की राजकीय भूमि ख.नं. 87 के कुल रकबा 35.07 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर मकान चालु करके एवं बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि गै.मु. जोहड़ की भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नही है। पशुओं को बांधने के लिए ढ़ारे व बाड़ा बना रखा था, उसको हटा लिया गया है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के संबंध में जांच भू.अ.नि. अगवाना खुर्द से करवाई गई। मुताबिक जांच भू.अ.नि. अगवाना खुर्द गैर सायल द्वारा कोई अतिक्रमण नही हटाया गया है। उक्त गै.मु. जोहड़ की भूमि में गैर सायल का अतिक्रमण पाया गया। रिपोर्ट भू.अ.नि. से पटवारी हल्का की रिपोर्ट की पुष्टी होती है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब को सही नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० सि० रा० के मूल सं. 02 पर
वर्ष 2021-22 में रुपये 8/— कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़